

# फर्द अहकाम

(नियम 28)

ज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर जैतारण (पाली)

नेन कवर

बनाम सुरेश मिश्र

किस्म मुकदमा राजस्व वाद संख्या 22 / सन् 2023

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तामिल  
में जारी हुए

वकील वादी उपस्थित।

वकील वादी ने एक राजस्व वाद पत्र विरुद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा  
179 LA RT Act के तहत पेश किया है। प्रार्थना पत्र धारा 80 (2)  
सीपीसी का भी पेश किया है जो सामिल मिसल हो। हस्ब प्रार्थना पत्र प्रतिवादीगण  
संख्या के विरुद्ध वाद पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। राजस्व वाद  
दर्ज रजिस्टर किया जावें। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मनस तलब किये जावे। पत्रावली  
आयन्दा दिनांक 9/3/23 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर  
जैतारण (पाली)

23 वादीगण मज अधिवक्ता द्वारा जमावली तलबी का  
आपड पेश करते है उबाओ भाप जेस हुवे।

वादीगण मज अधिवक्ता ने आपड मज विडोले  
का पेश किया कि उमा अन्गत के पुररुण के  
पक्षकारान के मजभा आपानी लमममारी है शपीनामा  
है उबा है। उमा गड के माझे किमी प्रकार की  
कार्यगरी नही जाहो है। गड पड जरीजे विडोले  
रवारिज करते का निर्देश किया है। आपड ला. फि.  
है।

मज वादीगण मज अधिवक्ता द्वारा गड विडोले  
रवारिज करते का आपड पेश करते है वादीगण मज  
गड जरीजे विडोले रवारिज किया जाऊ है। आपड  
कोदल शुफाट होमट नमनट है कज है। गड नमनील  
जाऊ दारिजल दकन जेरल। आपड पेश है।

(श्याम भून्दर विष्णोई)  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन  
सहायक कलक्टर जैतारण (पाली)



86  
13/4/23  
नेन कवर  
I.D.  
Sopurkain  
Ash